उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार

(www.psc.uk.gov.in)

संख्या :: 487(2)/06/ई–05/डी0आर0/सहा0 लेखा0/2022–23 **दिनाँक ::16 अगस्त, 2023**

विज्ञप्ति

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि सहायक लेखाकार परीक्षा–2022, हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्याःए–3/ई–05/डी0आर0/सहा0लेखा0/2022–23, दिनांक 28 अक्टूबर, 2022 के क्रम में दिनांक 07 मई 2023, को सम्पन्न लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का परीक्षा परिणाम विज्ञप्ति संख्या:34/11/सहा. लेखा./G-2/2023–24 दिनांकः 15 जून, 2023 को घोषित किया गया है। प्रश्नगत परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन दिनांक 27 जून, 2023 से दिनांक 10 जुलाई, 2023 तक किया गया।

2. अभिलेख सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों हेतु विभागवार पद की ऑनलाईन वरीयता (Online Preference) भरने हेतु दिनांक **18.08.2023 से 11.09.2023** तक ऑनलाइन लिंक आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर उपलब्ध कराया जा रहा है। अभ्यर्थियों को उक्त लिंक के माध्यम से ऑनलाईन वरीयता (सभी विभागों हेतु) भरना अनिवार्य है। वरीयता भरने के पश्चात् किसी भी दशा में ऑनलाइन वरीयता परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा। अतः अभ्यर्थी वरीयता भरने से पूर्व आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रश्नगत परीक्षा के विज्ञापन व शुद्धि पत्रों का अवलोकन अवश्य कर लें।

3. अभिलेख सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों की हिन्दी टकंण अर्हकारी परीक्षा दिनांक **28.08.2023 से 11.09.2023** तक ज्ञानोदय लैब, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में आयोजित की जाएगी। हिन्दी टंकण हेतु महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी उक्त टंकण परीक्षा के **प्रवेश पत्र दिनांक 18.08.2023 से** आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in से डाउनलोड कर सकते है। अभ्यर्थियों को पृथक से डाक द्वारा प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किये जायेंगे।

4. यह भी अवगत कराना है कि विज्ञापन के सापेक्ष अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में NSS 'B' की सूचना तत्समय प्राप्त नहीं की गयी थी। अतः जो अभ्यर्थी NSS 'B' प्रमाण पत्र धारित करते हैं, इसकी सूचना ऑनलाइन आवेदन पत्र में वरीयता भरते समय अपडेट कर सकते हैं। उक्त के क्रम में ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन वरीयता भरते समय "NSS 'B' प्रमाण पत्र धारित करते हैं" की सूचना अपडेट की गयी है, वह हिंदी टंकण परीक्षा की निर्धारित तिथि को **NSS 'B' प्रमाण पत्र की मूल प्रति व छायाप्रति** अपने साथ लाना सुनिश्चित करेंगे।

5. यदि, किसी अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख सत्यापन के समय आयोग कार्यालय में जमा किये गये अभिलेख प्रश्नगत परीक्षा के संगत सेवानियमावली तद्नुसार विज्ञापन में उल्लिखित शर्तानुसार सम्यक् नहीं पाये जाते, तो हिन्दी अर्हकारी टंकण परीक्षा में सफल होने के बावजूद वैसे अभ्यर्थी को प्रश्नगत चयन प्रक्रिया हेतु विचारित नहीं किया जायेगा।

-Sd-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।